ए.

रोहित थमाना गौड़ा

बनाम

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

(2022 की सिविल अपील संख्या 4987)

बी.

29 जुलाई, 2022

[ए**.** एम**.** खानविलकर और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** जे**.** जे**.]**

बाल और परिवार कल्याण-नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा-अपीलार्थी (पति) और प्रत्यर्थी सं।3 (पत्नी) भारत से अमेरिका स्थानांतरित हो गई और वर्तमान में स्थायी अमेरिकी निवासी कार्ड धारक हैं-उनका बच्चा वर्ष 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ था और 2020 तक वह वहां रह रहा था-परस्पर संबंधों में संघर्ष और टकराव हुआ-अपीलार्थी अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए भारत में 27.02.2020 पर आया था-03.03.2020 पर, प्रत्यर्थी नं।3 अपीलार्थी की सहमति के बिना भारत आया और बच्चे को अपने साथ लाया-संयुक्त राज्य अमेरिका वापस पहुंचने पर, अपीलार्थी ने नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कई कानूनी कार्यवाही शुरू की-भारत में, अपीलार्थी ने बच्चे की अभिरक्षा के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, ताकि बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया जा सके जहाँ उसका जन्म हुआ था-उच्च न्यायालय ने बच्चे के साथ बातचीत करने और अन्य प्रासंगिक विचारों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि बच्चा अपनी माँ की अभिरक्षा में सहज और सुरक्षित महसूस करता है और उसके बाद अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज कर दिया-इसलिए, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया-आयोजितः'बच्चे की इच्छा/इच्छा' के बीच अंतर है जिसे बातचीत के माध्यम से पता लगाया जा सकता है और 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' जो कि अदालत द्वारा सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाने वाला मामला है-बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि हित का होना चाहिए-तत्काल मामले में, बच्चा एक स्वाभाविक अमेरिकी नागरिक है और इस प्रकार उसके पास अपने मूल देश में बेहतर रास्ते और संभावनाएं होंगी-इसके अलावा, वह लगभग एक दशक से वहां रह रहा था और पढ़ाई कर रहा था और पूरे

तथ्यों और परिस्थितियों और जिस वातावरण में बच्चा पैदा हुआ था, उस पर विचार करना उसके सर्वोत्तम हित में होगा-उच्च न्यायालय ने उपरोक्त कारकों पर विचार नहीं किया है-अपीलार्थी को दिए गए बच्चे की अभिरक्षा-उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करना दिया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

784 ए.

785

रोहित थमन्ना गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य और ओआरएस।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.**बच्चे की अभिरक्षा के सवाल से जुड़े मामले में यह ध्यान रखना होगा कि 'बच्चे की इच्छा/इच्छा क्या है' सवाल अलग है और इस सवाल से अलग है कि 'बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा'।निश्चित रूप से, बच्चे की इच्छा/इच्छा का पता बातचीत के माध्यम से लगाया जा सकता है, लेकिन फिर, यह सवाल कि 'बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा' सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा तय किया जाना है। **[**पैरा **8] [790-**जी**-**एच**; 791-**ए**]**

बी.

2. अधिकारिता के प्रश्न का उत्तर देने के लिए, रवि चंद्रन के मामले में, इस न्यायालय ने माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर नाबालिग की अभिरक्षा के दावे से जुड़े मामलों की जांच के मामले में उच्च न्यायालयों की वास्तविक भूमिका पर ध्यान दिया, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह नाबालिग है जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।इस तरह के विचार के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी दिए गए मामले में नाबालिक के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका पर विचार करते समय भी, उच्च न्यायालय उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्चे की वापसी के लिए निर्देश दे सकते हैं या बच्चे की अभिरक्षा को बदलने से इनकार कर सकते हैं।**[**पारस **9** और **10] [792-**ए**-**बी**]**

सी.

डी.

3. विचाराधीन बच्चा एक लड़का है**,** जो अब लगभग **11** वर्ष का है और अमेरिकी पासपोर्ट और उसके माता**-**पिता के साथ एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक है।**,** अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या **3** स्थायी अमेरिकी निवासी कार्ड धारक हैं।इन पहलुओं पर उचित ध्यान नहीं दिया गया।केवल इसलिए कि उसे माँ द्वारा आईडी**1** पर भारत लाया गया था और उसे एक स्कूल में भर्ती कराया गया था और वह अब स्कूली शिक्षा के साथ सहज महसूस कर रहा है और बेंगलुरु में रहने को **11** साल के लड़के के कल्याण पर विचार करने के लिए कारकों के रूप में नहीं लिया जा सकता था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ और लगभग एक दशक तक रहा। पूरे तथ्यों और परिस्थितियों और उस वातावरण को ध्यान में रखते हुए जिसमें बच्चा पैदा हुआ था और लगभग एक दशक तक उसका पालन**-**पोषण किया गया था**,** इस तथ्य के साथ कि वह एक स्वाभाविक अमेरिकी नागरिक है**,** अमेरिका में उसकी वापसी उसके सर्वोत्तम हित में होगी। इस मामले में यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दो मौकों पर अमेरिकी अदालतों ने बच्चे को अमेरिका वापस करने का आदेश दिया था। यह सच है कि उस प्रभाव का पहला आदेश के उदाहरण पर खाली कर दिया गया था

ई.

एफ.

जी.

एच.

786 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 4 एस. सी. आर.

ए.

प्रत्यर्थी सं**. 3.**हालांकि**,** सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए**,** इस न्यायालय का विचार था कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं था जहां भारत में न्यायालयों को बच्चे के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए नाबालिग बच्चे को अपीलार्थी को वापस करने के अमेरिकी न्यायालयों के आदेशों को स्वीकार करने से इनकार कर देना चाहिए।इस न्यायालय के विचार में बच्चे के कल्याण के दृष्टिकोण से विचार केवल बच्चे के अपने मूल देश लौटने के आदेश का समर्थन करेगा।**,** संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि**,** बच्चा अमेरिकी पासपोर्ट के साथ एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक है।उनका पालन**-**पोषण संयुक्त राज्य अमेरिका के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य के परिवेश में हुआ है और इसलिए वे अपने मूल देश की जीवन शैली**,** भाषा**,** रीति**-**रिवाज**,** नियमों और विनियमों के आदी हो गए हैं।**,** संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा**,** अगर वह एक स्वाभाविक अमेरिकी नागरिक होने के नाते संयुक्त राज्य अमेरिका लौटता है तो उसके पास बेहतर रास्ते और संभावनाएं होंगी।**[**पैरा **16] [795-**सी**-**एच**; 796-**ए**]**

बी.

सी.

4. इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:**1.** प्रत्यर्थी संख्या **3** यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चा तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका वापस लौट आए।उस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या **3** के साथ-साथ अपीलार्थी **,** जिसके पास भी विचाराधीन बच्चे का अमेरिकी पासपोर्ट है**,** वह बच्चे को अपने मूल देश लौटने में सक्षम बनाने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कार्य करेगा।**,** संयुक्त राज्य अमेरिका**;**

डी.

ई.

2. प्रत्यर्थी सं**. 3** और अपीलार्थी बच्चे को वर्तमान विद्यालय से मुक्त कराने और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे**,** जहां अपीलार्थी वर्तमान में रह रहा है**,** बिना उसकी पढ़ाई में बहुत बाधा डाले**;**

एफ.

3. प्रत्यर्थी संख्या **3,** यदि वह बच्चे के साथ जाना चाहती है और संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस रहना चाहती है तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होगी।यदि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने और अपने माता-पिता के लिए आवास की व्यवस्था की आवश्यकता है तो वह अपीलार्थी को इस संबंध में अपनी इच्छा से अवगत करा सकती है।लिखित में इस तरह की सूचना पर अपीलार्थी इस न्यायालय को दिए गए आश्वासन का सम्मान करने के लिए तुरंत आवश्यक कार्य करेगा**,** जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है**,** ताकि प्रत्यर्थी ए

जी.

एच.

787

रोहित थमना गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य और ओआरएस।

नं**. 3** और उसके माता-पिता**,** जैसा भी मामला हो**,** बच्चे के साथ और संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस रहने के लिए**,** बशर्ते वे अपनी यात्रा और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के लिए आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करें**;**

4. बच्चे की यू**.** एस**.** ए**.** में सुचारू रूप से वापसी को सक्षम बनाने के लिए सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को प्रत्यर्थी संख्या **3** और अपीलार्थी द्वारा दो महीने की अवधि के भीतर किसी भी दर पर तेजी से लिया जाएगा ताकि बच्चे की पढ़ाई में कम से कम बाधा आए। **[**पैरा **18] [796-**डी-एच**]**

बी.

सी.

निथ्या आनंद राघवन बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्र।

(2017) 8 एससीसी 454:[2017] 7 एससीआर 281; वी. रवि

चंद्रन बनाम भारत संघ **(2010) 1** एस**.** सी**.** सी**. 174:[2009]**

15 एस**.** सी**.** आर**. 960-**पर निर्भर।

धनवंती जोशी बनाम माधव उन्डे **(1998) 1** एस**.** सी**.** सी**. 112:**

डी.

[1997] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 30-**संदर्भित।

मैकी बनाम मैकी (1951) एसी 352-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2017] 7 एससीआर **281**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **9**

ई.

[2009] 15 एससीआर **960**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **9**

[1997] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 30** पैरा **10** में संदर्भित है।

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4987

एफ.

2022.

2020 की रिट याचिका संख्या 76 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से।

प्रभजीत जौहर, सुश्री तुलिका भटनागर, एस. एस. जौहर, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

जी.

बसव प्रभु एस. पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री इरफाना नजीर, सिद्धांत बक्सी, आसिफ अहमद, सुश्री प्रियंका वोरा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

788

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी. टी. रविकुमार जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 2020 की रिट याचिका (बंदी प्रत्यक्षीकरण) No.76 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 07.09.2021 के खिलाफ निर्देशित है। अपीलार्थी ने निम्नलिखित मुख्य राहत की मांग करते हुए उक्त रिट याचिका दायर कीः

बी.

"बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रत्यर्थियों को याची की लगभग 9 वर्ष की एकमात्र संतान नाबालिग आर्या रंजिनी रोहित को सुरक्षित करने का निर्देश दिया जाए और नाबालिग आर्या रंजिनी रोहित को इस माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए और उक्त नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा याची को सौंप दी जाए जो नाबालिग का पिता है, ताकि बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया जा सके जहां वह पैदा हुआ था और एक नागरिक है और जहां वह स्कूल में रह रहा था और पढ़ रहा था।

सी.

डी.

3. विवादित फैसले के अनुसार, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन अपीलार्थी को प्रदान किए गए मुलाकात अधिकारों के अधीन।यह उसी को चुनौती दे रहा है कि उपरोक्त अपील को प्राथमिकता दी गई है।विवरणों के अभाव में, अपीलार्थी के मामले को नीचे बताया जा सकता हैः

ई.

"याची पिछले दो दशकों से अमेरिका में रह रहा है।19.03.2008 को उनके और प्रत्यर्थी संख्या 3 के बीच शादी बेंगलुरु में हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार आयोजित की गई

थी।शादी के तुरंत बाद वे अमेरिका चले गए और इसे अपना वैवाहिक घर बना लिया।उन दोनों ने ग्रीन कार्ड (आधिकारिक तौर पर स्थायी निवासी कार्ड के रूप में जाना जाता है) के लिए आवेदन किया और इसे 07.09.2010 पर प्राप्त किया।यह उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने का अधिकार देता है। 03.02.2011 पर उनके बेटे आर्या रंजनी रोहित का जन्म वाशिंगटन, यू. एस. ए. में हुआ था और वह अमेरिकी पासपोर्ट के साथ एक स्वाभाविक अमेरिकी नागरिक है।बच्चा वर्ष 2019-20 के दौरान वाशिंगटन स्कूल जिले के क्रिस्टा मैकऑलिफ एलीमेंट्री स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था।"

एफ.

जी.

4. पारस्परिक संबंधों में संघर्ष और टकराव हुए और वे अंततः उस घटना में समाप्त हुए जो ए है

एच.

789

रोहित थमन्ना गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य और

ओआरएस। [सी. टी. रविकुमार जे.] ए.

इस प्रक्रिया की उत्पत्ति।अपीलार्थी के अनुसार, 03.03.2020 पर, प्रत्यर्थी संख्या 3 बच्चे के साथ, उसकी सहमति के बिना, भारत में बेंगलुरु आया।उस समय, अपीलार्थी अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए पहले से ही भारत में था।, 27.02.2020 से 09.03.2020 तक।अमेरिका पहुँचने पर उन्हें एहसास हुआ कि बच्चा वैवाहिक घर से लापता है।उन्होंने स्कूल में प्रारंभिक पूछताछ की, व्यर्थ, और उसके बाद बाल मुद्दों के कार्यालय, यू. एस. ए. में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रत्यर्थी No.3-wife द्वारा बच्चे का अपहरण कर लिया गया था।बाद में, शाम को वह भारत में अपने ससुर से संपर्क कर सके और बेंगलुरु में घर पर अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे की उपलब्धता के बारे में सूचित किए जाने पर उन्होंने 11.03.2020 पर उक्त शिकायत वापस ले ली।इसके बाद, उन्होंने सितंबर, 2020 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर की।उन्होंने 22.1.2020 पर वाशिंगटन, किंग काउंटी के सुपीरियर न्यायालय में एक अभिरक्षा याचिका भी दायर की है और 26.10.2020 का एक एकतरफा आदेश प्राप्त किया है।प्रत्यर्थी को बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका वापस करने का निर्देश दिया गया था।29.10.2020 पर प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अमेरिकी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया और एकतरफा आदेश को खाली करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया।नतीजतन, बच्चे को वापस करने का एकतरफा आदेश रद्द कर दिया गया।बाद में, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अमेरिकी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की और 15.01.2020 दिनांकित आदेश के अनुसार अमेरिकी न्यायालय ने नाबालिग बच्चे पर अपने अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा।फिर भी बाद में, उन्होंने

खुद वाशिंगटन इन एंड फॉर किंग काउंटी राज्य के सुपीरियर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया, जिसमें बाल समर्थन और पति-पत्नी समर्थन के साथ-साथ एक पालन-पोषण मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के लिए भी अस्थायी आदेश मांगे गए।अमेरिकी न्यायालय ने 09.03.2021 पर एक आदेश पारित किया जिसमें उसे शर्तों के अधीन प्रति माह $5000 अमरीकी डॉलर का वैवाहिक समर्थन दिया गया।अमेरिकी अदालत ने एक आदेश भी पारित किया जिसमें उसे बच्चे को अमेरिका वापस करने का निर्देश दिया गया। इससे पहले, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने परिवार न्यायालय बेंगलुरु के समक्ष जी एंड डब्ल्यू No.246/2020 वाली हिरासत याचिका दायर की थी।इसे संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 9 के तहत अधिकार क्षेत्र के अभाव के लिए बनाए रखने योग्य नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया गया था।(अब, मामला सिविल संशोधन याचिका संख्या 318/2021) में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। अपीलार्थी के अनुसार, इन परिस्थितियों में केवल अमेरिकी अदालतों को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के सवाल पर फैसला करने का अधिकार क्षेत्र मिला।अपीलार्थी का तर्क है कि उच्च न्यायालय ने अमेरिकी न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की थी और इस सवाल पर उचित निर्णय लेने में भी विफल रहा कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा।अपीलार्थी ने इस कार्यवाही में अपने प्रति बच्चे की आत्मीयता और स्नेह को स्थापित करने के लिए दलीलें उठाई हैं और दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं।जाहिर है, उनका प्रयास यह स्थापित करना है कि बच्चे के हित के लिए, बच्चे को अमेरिका लौट जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

5. प्रत्यर्थी सं. 3 ने अपीलार्थी की दलीलों का विरोध किया।उच्च न्यायालय के समक्ष उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि बच्चे को अपीलार्थी की सहमति के बिना भारत लाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें खुद अपीलार्थी द्वारा और अमेरिकी अदालतों द्वारा भी बच्चे की अभिरक्षा की

अनुमति दी गई थी।इस तर्क के समर्थन में कि अपीलार्थी ने बच्चे को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए सहमति दी थी, उसने अपीलार्थी द्वारा 15.03.2020 पर भेजे गए एक ई-मेल पर भरोसा किया।तथ्य यह है कि बच्चा अब बेंगलुरु के एक स्कूल में भर्ती है और वह अब वहाँ अपनी पढ़ाई कर रहा है।जाहिर है, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह स्थापित करने के लिए दलीलें उठाई थीं कि बच्चा अवैध या गैरकानूनी हिरासत में नहीं था और इसलिए, अपीलार्थी मांगी गई प्रार्थना का हकदार नहीं है और इसके विपरीत, वह नाबालिग बच्चे की हिरासत में बने रहने का हकदार है।

बी.

सी.

6. आक्षेपित आदेश के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश के अनुसार, अपीलार्थी की इस दलील को खारिज कर दिया कि बच्चा गैरकानूनी हिरासत में है और प्रत्यर्थी संख्या 3 बच्चे को यूएसए वापस करने के अमेरिकी न्यायालयों के आदेशों का अपमान करते हुए बच्चे की हिरासत जारी रखे हुए है। विवादित फैसले से पता चलेगा कि न्यायालय ने कक्ष में बच्चे के साथ बातचीत की थी और यह पता लगाया था कि क्या वह मजबूरी में मां के साथ रह रहा था।विवादित फैसले के पैराग्राफ 85 से पता चलता है कि इस तरह की बातचीत के दौरान क्या हुआ था।इससे पता चलता है कि बच्चे ने अपनी माँ के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी और आगे बताया कि वह स्कूल में सहज था और पिछले एक साल से स्कूल में पढ़ रहा था।उन्होंने इस तथ्य का भी खुलासा किया था कि उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा में और बेंगलुरु में रहने में भी कोई कठिनाई नहीं हो रही थी।पैराग्राफ 85 में उल्लिखित प्रतिद्वंद्वी दलीलों और तथ्यों के विश्लेषण पर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बच्चा सहज है और बेंगलुरु में अपनी मां की हिरासत में सुरक्षित महसूस करता है।अंततः, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन मुलाकात के अधिकारों के अधीन, विशेष रूप से पैराग्राफ 89 से 93 में उल्लिखित।इन परिस्थितियों में, वर्तमान अपील को उच्च न्यायालय के दिनांक 07.09.2021 के फैसले पर जोर देते हुए प्राथमिकता दी गई है।7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को भी सुना।

डी.

ई.

एफ.

जी.

8. शुरुआत में हम कह सकते हैं कि बच्चे की अभिरक्षा के सवाल से जुड़े मामले में यह ध्यान रखना होगा कि 'बच्चे की इच्छा/इच्छा क्या है' सवाल अलग और इस सवाल से अलग है कि 'बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा'।निश्चित रूप से, इच्छा/ए

एच.

791

रोहित थमन्ना गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य और

ओआरएस। [सी. टी. रविकुमार जे.] ए.

बच्चे की इच्छा का पता बातचीत के माध्यम से लगाया जा सकता है, लेकिन फिर यह सवाल कि 'बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा' न्यायालय द्वारा सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना है।जब जोड़े आपस में झगड़ते हैं और पार्थियन शॉट के रूप में अपने रास्ते अलग करना चाहते हैं तो वे एक-दूसरे के खिलाफ चरम आरोप लगा सकते हैं ताकि दूसरे को बच्चे की अभिरक्षा के लिए अयोग्य दिखाया जा सके।इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि एक नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के दावे पर विचार करने के लिए, जब तक कि बहुत गंभीर, सिद्ध आचरण जो उनमें से एक को संबंधित बच्चे की अभिरक्षा के लिए दावा करने के योग्य नहीं बनाता है, प्रश्न का निर्णय केवल इस प्रश्न को देखते हुए किया जा सकता है और किया जाएगा कि 'संबंधित बच्चे का सर्वोत्तम हित क्या होगा'।दूसरे शब्दों में, बच्चे का कल्याण सर्वोपरि विचार होना चाहिए।मामले के उस दृष्टिकोण में हम समझते हैं कि उनके संबंधित अभिवचनों और शपथपत्रों में सभी दलीलों और आरोपों पर चर्चा करना और उनसे निपटना बिल्कुल अनावश्यक है।

बी.

सी.

9. कथित प्रश्न का उत्तर देने के लिए और अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर भी हम इस पर गहन सर्वेक्षण करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं

डी.

अधिकारीगण।यह न्यायालय निथ्या आनंद राघवन बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और ए. एन. आर. [(2017) 8 एस. सी. सी. 454], ने वी. रवि चंद्रन बनाम भारत संघ [(2010) 1 एस. सी. सी. 174] में निर्धारित सिद्धांत को दोहराया और आगे

इस प्रकार आयोजित किया गयाः-

“संक्षिप्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए और यह राय होनी चाहिए कि कार्यवाही शुरू की गई है।

ई.

इससे पहले कि यह निकटता में हो और बच्चे को उसके मूल राज्य से हटाने और लाने के तुरंत बाद दायर किया जाए

अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर, बच्चे ने जड़ें नहीं जमाई हैं

यहाँ और आगे यह कि वापस आना बच्चे के कल्याण में होगा

एफ.

अपने मूल राज्य में बोली जाने वाली भाषा या सामाजिक रीति-रिवाजों और संपर्कों में अंतर के कारण जिसके वह आदी हो गया है या ऐसे अन्य ठोस कारणों से।ऐसे मामले में न्यायालय को बच्चे के सर्वोपरि कल्याण के गुणों की विस्तृत जांच का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बच्चे की वापसी का निर्देश देकर उस जांच को विदेशी न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए।यह नोट किया जाए

जी.

कि असाधारण मामलों में न्यायालय अभी भी बच्चे को मूल राज्य में वापस करने का निर्देश जारी करने से इनकार कर सकती है और विशेष रूप से उस ओर से विदेशी न्यायालय के पहले से मौजूद आदेश के बावजूद, यदि यह संतुष्ट है कि बच्चे की वापसी से उसे नुकसान होने का गंभीर खतरा हो सकता है।

एच.

(जोर दिया गया)

10. रवि चंद्रन के मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर नाबालिग की हिरासत के दावे से जुड़े मामलों की जांच के मामले में उच्च न्यायालयों की वास्तविक भूमिका पर ध्यान दिया, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह नाबालिग है जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।इस तरह के विचार के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी दिए गए मामले में नाबालिक के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका पर विचार करते समय भी, उच्च न्यायालय उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्चे की वापसी के लिए निर्देश दे सकते हैं या बच्चे की अभिरक्षा को बदलने से इनकार कर सकते हैं।नित्या आनंद के मामले में इस न्यायालय ने धनवंती जोशी के फैसले का भी उल्लेख किया था।

बी.

बनाम माधव उंडे [(1998) 1 एस. सी. सी. 112] जिसे बदले में प्रस्तुत किया गया था।

सी.

मैकी बनाम मैकी [(1951) एसी 352] में प्रिवी काउंसिल के निर्णय का उल्लेख करने के बाद। मैकी के मामले में प्रिवी काउंसिल ने माना कि विदेशी न्यायालय का आदेश कल्याण के लिए होगा और न्यायालयों की समिति इसके प्रवर्तन की नहीं, बल्कि इसके गंभीर विचार की मांग करती है।हालाँकि, भारत 1980 के हेग कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, "अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं" पर, इस न्यायालय ने वस्तुतः, माता-पिता के देशभक्त अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत की सच्ची भावना को आत्मसात करते हुए, निथ्या आनंद राघवन के मामले में इस प्रकार निर्णय दियाः

डी.

“40. ..... जहां तक गैर-कन्वेंशन देशों का संबंध है, कानून यह है कि जिस देश की न्यायालय में बच्चे को हटा दिया गया है, उसे बच्चे के कल्याण के गुण-दोष के सवाल पर सर्वोपरि महत्व के रूप में विचार करना चाहिए और विदेशी न्यायालय के आदेश को केवल एक कारक के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए, जब तक कि न्यायालय बच्चे के हित में संक्षिप्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना उचित नहीं समझती है और इसकी शीघ्र वापसी उसके कल्याण के लिए है।संक्षिप्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए और यह राय होनी चाहिए कि उसके समक्ष शुरू की गई कार्यवाही निकटता में थी और बच्चे को उसके मूल राज्य से हटाए जाने और उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में लाए जाने के तुरंत बाद दायर की गई थी, बच्चे ने यहां जड़ें नहीं जमाई हैं और आगे यह कि बोली जाने वाली भाषा या सामाजिक रीति-रिवाजों और संपर्कों में अंतर के कारण अपने मूल राज्य में लौटना बच्चे के कल्याण में होगा, जिसके वह आदी हो गया है या ऐसे अन्य ठोस कारण हैं।ऐसे मामले में न्यायालय को बच्चे के सर्वोपरि कल्याण के गुणों की विस्तृत जांच का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बच्चे की वापसी का निर्देश देकर उस जांच को विदेशी न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए।यह ध्यान दिया जाए कि असाधारण मामलों में न्यायालय अभी भी बच्चे को मूल राज्य में वापस करने का निर्देश जारी करने से इनकार कर सकती है और विशेष रूप से पूर्व-ए के बावजूद।

ई.

एफ.

जी.

एच.

793

रोहित थमन्ना गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य और

ओआरएस। [सी. टी. रविकुमार जे.] ए.

उस ओर से विदेशी न्यायालय का मौजूदा आदेश, यदि यह संतुष्ट है कि बच्चे की वापसी उसे नुकसान के गंभीर जोखिम के लिए उजागर कर सकती है।इसका मतलब यह है कि भारत में जिन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नाबालिग को लाया गया है, उन्हें विदेशी न्यायालय के पहले से मौजूद आदेश, यदि कोई हो, को केवल एक कारक के रूप में मानते हुए बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि महत्व देते हुए गुण-दोष के प्रश्न पर "सामान्य रूप से" विचार करना चाहिए और इसके साथ निर्धारित नहीं होना चाहिए।किसी भी स्थिति में-चाहे वह संक्षिप्त जांच हो या विस्तृत जांच-बच्चे के कल्याण पर सर्वोपरि विचार किया जाता है।इस प्रकार, इस मुद्दे की जांच करते समय भारत में अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र में लाए गए बच्चे की वापसी की राहत को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि यह संतुष्ट है कि बच्चा अब अपने नए वातावरण में बस गया है या यदि यह बच्चे को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान के लिए उजागर करेगा या अन्यथा बच्चे को असहनीय स्थिति में डाल देगा या यदि बच्चा काफी परिपक्व है तो उसे वापस करने का एक उद्देश्य है।हम उपरोक्त व्याख्या के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं।”

बी.

सी.

11. उक्त निर्णयों में इस प्रकार तय की गई स्थिति पर ध्यान देने के बाद अब हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि क्या इस मामले में ऐसी कवायद ठीक से की गई थी।ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मामले में विदेशी न्यायालय ने, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बच्चे की संयुक्त राज्य अमेरिका वापसी के लिए आदेश पारित किए। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि दूसरे अवसर पर पारित इस तरह के आदेश को भी बाद में खाली कर दिया गया था।यह सच है कि उस प्रभाव का पहला आदेश 26.10.2020 पर पारित किया गया था जिसे बाद में 30.10.2020 पर तीसरे प्रत्यर्थी के कहने पर खाली कर दिया गया था।हालाँकि, अभिलेखों के अनुसार, गैर-अनुपालन के कारण बच्चे की वापसी के लिए मार्च 2021 में वाशिंगटन के सुपीरियर न्यायालय, किंग काउंटी में पारित आदेश के कारण 29.4.2021 पर अवमानना के लिए आगे का आदेश दिया गया।उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि हालांकि अमेरिकी न्यायालय ने बाद में पति-पत्नी के समर्थन के आदेश को निलंबित कर दिया, लेकिन बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया और इसलिए, बच्चे की अभिरक्षा प्रत्यर्थी संख्या 3 के साथ जारी है।हमने उन पहलुओं का उल्लेख केवल यह इंगित करने के उद्देश्य से किया है कि उच्च न्यायालय अमेरिकी न्यायालय द्वारा बच्चे की वापसी के आदेश के अस्तित्व से अवगत था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

12. जो भी हो, अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा तय की गई स्थिति के संदर्भ में विचार किया गया था, यानी बच्चे के कल्याण को प्रमुख महत्व देकर।विवादित फैसले की जांच से पता चलेगा कि उच्च न्यायालय ने सही कहा था

एच.

794

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

इस महत्वपूर्ण पहलू की पहचान की कि मामले पर विचार करते समय बच्चे के कल्याण पर सर्वोपरि विचार किया जाना चाहिए।

13. हमने पहले कहा है कि सवाल 'बच्चे की इच्छा/इच्छा क्या है' का पता बातचीत के माध्यम से लगाया जा सकता है, लेकिन फिर, सवाल यह है कि 'बच्चे का सबसे अच्छा हित क्या होगा' सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा तय किया जाना है।हालाँकि, विवादित निर्णय की सावधानीपूर्वक जांच से पता चलता है कि उक्त प्रश्न की सही पहचान करने के बाद भी उच्च न्यायालय उक्त बिंदु से भटक गया था और कुछ ऐसे पहलुओं पर विचार करने लगा था जो उक्त उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं थे।हम उक्त टिप्पणी के कारण की व्याख्या करेंगे।

बी.

सी.

14. उच्च न्यायालय ने अमेरिकी न्यायालयों के समक्ष अपीलार्थी द्वारा शुरू की गई विभिन्न कार्यवाहियों पर ध्यान देने के बाद यह राय बनाई कि उसने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका में अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने और भारतीय न्यायालयों से संपर्क करके पत्नी (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा हिरासत के लिए किसी भी कदम को पूर्व-खाली करने के इरादे से ही ऐसी कार्यवाहियां शुरू की थीं।दूसरे शब्दों में, अमेरिकी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की शुरुआत प्रेरित थी और निश्चित रूप से सद्भावना में नहीं थी और बेटे के सर्वोत्तम हित में भी नहीं थी।इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि संबंधित अमेरिकी न्यायालय ने बच्चे की वापसी का आदेश दिया था और उक्त आदेश का पालन न करने के कारण अवमानना के लिए कार्रवाई शुरू की थी।अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित पति-पत्नी समर्थन आदेश को भी बच्चे की वापसी के आदेश का पालन न करने के कारण निलंबित कर दिया गया था।जब अमेरिकी न्यायालय को स्थानांतरित किया गया था और न्यायालय ने आदेश पारित किया था तो उपरोक्त अवलोकन को केवल समय से पहले किए गए अवलोकन के रूप में माना जा सकता है और यह बिल्कुल अनावश्यक था और इसने अंततः मुद्दे पर विचार करने की प्रक्रिया को लगभग प्रभावित किया।

जब अमेरिकी न्यायालय ने इस तरह के आदेश पारित किए और बच्चे की अभिरक्षा पर आदेश नहीं दिया तो बच्चे की अभिरक्षा रखने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 की अनुमति के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए था।किसी भी तरह से, बच्चे की वापसी के आदेश और अवमानना के आदेश के बाद प्रत्यर्थी संख्या 3 की ऐसी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

15. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 3 के बीच विवाह हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, उच्च न्यायालय ने कहा कि अमेरिकी न्यायालयों को विवाह से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।यह निष्कर्ष अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रभावशीलता को ध्यान में रखे बिना निकाला गया था।यह सख्ती से ए की वापसी के लिए नहीं था।

एच.

795

रोहित थमन्ना गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य और

ओआरएस। [सी. टी. रविकुमार, जे. ए.

प्रत्यर्थी संख्या 3 लेकिन एक आदेश था जिसका उद्देश्य अमेरिकी पासपोर्ट रखने वाले अमेरिका के एक प्राकृतिक नागरिक की वापसी को सुविधाजनक बनाना था।विवादित फैसले के पैराग्राफ 85 से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने बातचीत के दौरान बच्चे की स्कूली शिक्षा और ठहरने के संबंध में उसकी इच्छा और आराम के बारे में पूछताछ की थी।न्यायालय ने पाया कि बच्चे ने अपनी स्कूली शिक्षा या बेंगलुरु में रहने में कोई कठिनाई व्यक्त नहीं की और अंततः संतुष्ट हुआ कि बच्चा अपनी मां के साथ रहने में सहज और सुरक्षित है।

बी.

16. विचाराधीन बच्चा एक लड़का है, जो अब लगभग 11 वर्ष का है और अमेरिकी पासपोर्ट और उसके माता-पिता के साथ एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक है।, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 3 स्थायी अमेरिकी निवासी कार्ड धारक हैं।इन पहलुओं पर उचित ध्यान नहीं दिया गया।इसी तरह यह तथ्य भी कि विचाराधीन बच्चे का जन्म यू. एस. ए. में 03.02.2011 पर हुआ था और वर्ष 2020 तक वह वहाँ रह रहा था और पढ़ रहा था, बच्चे के कल्याण के सवाल पर विचार करते हुए भी उचित महत्व नहीं दिया गया था।केवल इसलिए कि उसे माँ द्वारा आईडी1 पर

भारत लाया गया था और उसे एक स्कूल में भर्ती कराया गया था और वह अब स्कूली शिक्षा के साथ सहज महसूस कर रहा है और बेंगलुरु में रहने को 11 साल के लड़के के कल्याण पर विचार करने के लिए कारकों के रूप में नहीं लिया जा सकता था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ और लगभग एक दशक तक रहा। तथ्य यह है कि वह अमेरिकी पासपोर्ट के साथ अमेरिका का एक स्वाभाविक नागरिक है और इस कारण से उसके पास उस देश में अच्छे रास्ते और संभावनाएं हो सकती हैं जहां वह एक नागरिक है।इस महत्वपूर्ण पहलू की बिल्कुल भी सराहना नहीं की गई है।हमारे विचार में, पूरे तथ्यों और परिस्थितियों और उस वातावरण को ध्यान में रखते हुए जिसमें बच्चा पैदा हुआ था और लगभग एक दशक तक उसका पालन-पोषण किया गया था, इस तथ्य के साथ कि वह एक स्वाभाविक अमेरिकी नागरिक है, अमेरिका में उसकी वापसी उसके सर्वोत्तम हित में होगी।इस मामले में यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दो मौकों पर अमेरिकी अदालतों ने बच्चे को अमेरिका वापस करने का आदेश दिया था। यह सच है कि उस प्रभाव का पहला आदेश प्रत्यर्थी संख्या 3 के कहने पर खाली कर दिया गया था। हालांकि, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां भारत में अदालतों को बच्चे के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए नाबालिग बच्चे को अपीलार्थी को वापस करने के अमेरिकी अदालतों के आदेशों को स्वीकार करने से इनकार कर देना चाहिए।हमारे विचार में, बच्चे के कल्याण के दृष्टिकोण से विचार केवल बच्चे के अपने मूल देश लौटने के आदेश का समर्थन करेगा।, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि, बच्चा अमेरिकी पासपोर्ट के साथ एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक है।उनका पालन-पोषण संयुक्त राज्य अमेरिका के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य के परिवेश में हुआ है और इसलिए वे अपने मूल देश की जीवन शैली, भाषा, रीति-रिवाज, नियमों और विनियमों के आदी हो गए हैं।, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा, वह बेहतर होगा

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

यदि वह एक स्वाभाविक अमेरिकी नागरिक होने के नाते संयुक्त राज्य अमेरिका लौटता है तो रास्ते और संभावनाएँ।

17. इस मामले में दलीलों के दौरान अपीलार्थी की ओर से अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 3 अपने माता-पिता के साथ अमेरिका लौटना और रहना चाहती है ताकि बच्चे की देखभाल करने का अवसर मिल सके और अपीलार्थी आवश्यक कार्य करने के लिए तैयार हो, यदि प्रत्यर्थी संख्या 3 चाहती है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी उस संबंध में उनके लिए उपयुक्त स्थान खोजने के लिए भी तैयार है।

बी.

18. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (बंदी प्रत्यक्षीकरण) No.76/2020 में पारित विवादित फैसले को अपास्त करना दिया जाता है।नतीजतन, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और हम आगे के निर्देशों का पालन करते हुए जारी करते हैं:

सी.

(i) प्रत्यर्थी संख्या 3 यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चा तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका वापस लौट आए।उस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 3 के साथ-साथ अपीलार्थी , जिसके पास भी विचाराधीन बच्चे का अमेरिकी पासपोर्ट है, वह बच्चे को अपने मूल देश लौटने में सक्षम बनाने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कार्य करेगा।, संयुक्त राज्य अमेरिका;

डी.

((ख) प्रत्यर्थी सं. 3 और अपीलार्थी बच्चे को वर्तमान विद्यालय से मुक्त कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए भी, जहां अपीलार्थी वर्तमान में रह रहा है, उसकी पढ़ाई में बहुत बाधा उत्पन्न किए बिना;

ई.

(iii) प्रत्यर्थी संख्या 3, यदि वह बच्चे के साथ जाना चाहती है और संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस रहना चाहती है, तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होगी।यदि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने और अपने माता-पिता के लिए आवास की व्यवस्था की आवश्यकता है तो वह अपीलार्थी को इस संबंध में अपनी इच्छा से अवगत करा सकती है।लिखित रूप में इस तरह की सूचना पर अपीलार्थी इस न्यायालय को दिए गए आश्वासन का सम्मान करने के लिए तुरंत आवश्यक कार्य करेगा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ताकि प्रत्यर्थी संख्या 3 और उसके माता-पिता, जैसा भी मामला हो, बच्चे के साथ रहने और संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस रहने में सक्षम हो सकें, बशर्ते कि वे अपनी यात्रा और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के लिए आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हों।

एफ.

जी.

(iv) बच्चे की यू. एस. ए. में सुचारू रूप से वापसी को सक्षम बनाने के लिए सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को प्रत्यर्थी संख्या 3 और अपीलार्थी द्वारा दो महीने की अवधि के भीतर किसी भी दर पर तेजी से लिया जाएगा ताकि बच्चे की पढ़ाई में कम से कम बाधा आए।

एच.

ए.

19. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 3 को बच्चे की अभिरक्षा या भेंट के अधिकारों की आवश्यकता है, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयुक्त मंच के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करके ऐसा कर सकती है। इसके अलावा, इस निर्णय में की गई टिप्पणियां प्रत्यर्थी संख्या 3 के रास्ते में नहीं आएंगी, क्योंकि बताई गई कार्यवाहियों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना होगा।

20. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।21. अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।22. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

बी.

अंकित ज्ञान

अपील का निपटारा किया गया।

सी.

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.